पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–97/2020

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

तेजासिंह पुत्र लालसिंह जाति जटसिख निवासी 4 केएलडी खाजूवाला।

..........प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री इमीचंद गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

रिमाण्ड वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णय:– दिनांक :–

यह वादपत्र माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 30.11.2015 में पारित आदेश" पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 97/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। प्रकरण सं0 282/2007 को 26.12.2014 को इस न्यायालय में निर्णित किया गया था तथा प्रतिवादी गण बतौर अपीलांट मानननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अपील दायर की गई, माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुवे इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.12.2014 निरस्त कर दिया है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर, वाद की प्रक्रिया अपनाकर निस्तारण करें। अतः प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। रिमाण्ड पश्चात न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत मूलवाद, जवाबदावा, प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का पुनः अवलोकन किया गया। जिसका ब्योरा निम्नप्रकार है।

वादी सरकार जरिये तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत मूल वाद का सार निम्नप्रकार है कि वादी का वाद निम्न आधारों पर प्रस्तुत है कि चक 4 केएलडी के मु0नं0 171/44, 171/43, 171/36 में अवैध [illegible] निकाला जा रहा है। मु0नं0 171/44 के किला नं0 1 ता 25 कमाण्ड [illegible] विन्द्रसिंह पुत्र भागसिंह जटसिख के नाम खातेदारी है जिसके [illegible] 9, 10 में [illegible] खुदाई का कार्य हो रहा है। मु0नं0 171/36 के किला नं0 1 ता 25 कमाण्ड रकबा तेजासिंह [illegible] लालसिंह जटसिख के नाम खातेदारी है जिसके किला नं0 [illegible] 8, 13, 14 में जिप्सम [illegible] रहा है। मु0नं0 171/43 के किला नं0 1 ता 25 कमाण्ड हुकमाराम पुत्र भीखाराम कौम मेघवाल सा0 इन्द्रोका तहः जोधपुर पुख्ता आवंटन है जिसके किला नं0 11, 12 में अवैध जिप्सम निकाला जा रहा है। जिसका मौके पर कब्जा भागीरथ पुत्र सत्यनारायण कुम्हार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:12 IST
Reason: SelfAttested

का है। अवैध जिप्सम भागीरथ कुम्हार निकाल रहा है। जिप्सम की खुदाई मशीन के द्वारा की जा रही है। मशीन मलूराम बिश्नोई की है। जिप्सम एक प्रमुख खनिज है तथा बिना राज्य सरकार की अनुमति के उसका खनन करना गैरकानूनी है। दावे के साथ पटवारी रिपोर्ट, नक्शा, जमाबंदी संलग्न किये गये है।

रिमाण्ड पश्चात तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 22.01.2021 व साथ संलग्न दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गए जिसको प्रदर्श–1 पढ़ा गया जिसका सार निम्नानुसार है कि भू.अ. निरीक्षक जीरो आर.डी. व पटवार हल्का 2 केएलडी के चक 4 केएलडी के मु0नं0 171/36 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15, 18 की 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि मुताबिक जमाबन्दी अराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर किला नं0 18 में लगभग 90X90 फीट की साईज में एक बड़ी डिग्गी बनी हुई है जो वर्तमान में जर्जर व खंड्डर है। उक्त रकबा ना.सं. 79 दिनांक 19.03.2015 से अराजीराज दर्ज हुआ था जो आदिनांक तक अराजीराज दर्ज है। वर्तमान में मौके पर मु0नं0 171/36 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15, 18 की कुल 9.04 बीघा भूमि साफ व समतल है।

रिमाण्ड पश्चात प्रतिवादी द्वारा जवाब दिनांक 05.07.2022 पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त जवाब का सार निम्नानुसार है कि प्रतिवादी/अप्रार्थी के नाम से चक 4 केएलडी के मु0नं0 171/36 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15, 18 की 9.04 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज कागजात माल थी जो कि वर्तमान मे अराजीराज है। प्रतिवादी ने उक्त रकबा जरिये बैयनामा से काबिज होने से व आज दिन तक किसी प्रकार का कोई अहित कार्य नहीं किया है, तथा ना ही कृषि भूमि के जोत के अधिकारो का उल्लघंन किया है। उक्त रकबा में कृषि प्रयोजनार्थ के लिये व भूमि विकास सुधार के लिये कुछ वृक्ष लगाये है। वृक्षारोपण करने के लिये भूमि में गढ्ढा खोदना आवश्यक होता है। प्रतिवादी ने उक्त रकबा में भूमि सुधार नियमो के तहत अपने व अपने परिवार के निवास व रहने के लिये निवास गृह का निर्माण किया है। निवास निर्माण के लिये मिट्टी की आवश्यकता होती है। जिसके लिये प्रतिवादी ने कुछ जगह पर मिट्टी की खुदाई की है तथा प्रतिवादी काश्तकारी वर्ग का होने के से पशुपालन करता है। पशुओ के पेयजल के लिये पानी इकट्ठा करने के लिये गढ्ढा खोदा हैं जिसमें पशुओं के पेयजल व मानव जीवन के पेयजल के लिये पानी का कई दिनों तक संग्रह किया जाता है। प्रतिवादी का उक्त रकबा पक्की मिट्टी/जिप्सम का होने से वर्षा काल में वर्षा का पानी वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है। जिसमें खड़ी फसल को पानी की कमी मे सिंचाई करने के लिये पानी इकट्ठा करने के लिये खेतो मे पानी की डिग्गी निर्माण के लिये खुदाई की गई है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा काश्तकार को 100X100X100 फीट डिग्गी निर्माण पर अनुदान की योजना चलाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:12 IST
Reason: SelfAttested

जिसके तहत डिग्गी का निर्माण किया गया था जो कि वर्तमान में जर्जर हालात में है। प्रतिवादी ने काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त रकबा में सुधार कार्यो के लिये निवास गृह, पशुशाला, पशुओं के लिये जलाश्य व कच्चा बांध सिंचाई के लिये ही खुदाई का कार्य किया है तथा उक्त खुदाई की मिट्टी का उपरोक्त सुधार कार्यो में ही उपयोग लिया गया है। प्रतिवादी ने उक्त रकबा की जिप्सम मिट्टी का किसी प्रकार के

व्यवसायिक रूप में ना तो दोहन किया है तथा ना ही उसका व्यवसाय किया है। उपरोक्त कार्यो के लिये की गई खुदाई के बाबत् धारा 177 आर.टी.एक्ट. के परन्तुक (2) में लिखा गया है कि कृषि कार्यों के लिये बांध, तालाब, कुंए, जल सारणी निर्माण अहितकर कार्य नहीं माने गये है। वादी ने उक्त वादपत्र मनगढ़त व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है इसलिए वादी को किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। क्योंकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एक साईक्लों स्टाईल वाद बना रखा है जिसमें नाम पता भरकर अदालत में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसके समर्थन में किसी प्रकार का कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि वाद के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है इसलिए वादी का वादपत्र खारिज योग्य है।

मूलवाद में वादपत्र रिमाण्ड पश्चात जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो कि निम्नानुसार हैः—

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

   ...... जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

   .... जिम्मे प्रतिवादी

न्यायालय हाजा के पत्रांक/249 दिनांक 10.03.2022 द्वारा पुनः तहसीलदार खाजूवाला से मौका रिकॉर्ड रिपोर्ट ली गई उक्त की पालना मे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो इसप्रकार है कि चक 4 केएलडी के मु0नं0 171/36 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15, 18 की 9.04 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त रकबा अराजीराज दर्ज है। मौका अनुसार उक्त रकबा पाकसाफ व समतल कृषि योग्य है। मौके पर किला नं0 18 मे लगभग 90X90 वर्गफीट की साईज में एक बड़ी सिंचाई डिग्गी बनी है जो कि वर्तमान में जर्जर व खण्डर हालात में हे। उक्त रकबा ना0 सं0 79 दि: 19.03.15 से राजस्व रिकॉर्ड मे अराजीराज दर्ज हुआ जो आजदिनांक तक अराजीराज दर्ज है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त रकबे से संबंधित प्रकरण अन्य कोई न्यायालय में जैरकार नहीं है और नाही वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई स्थगन वाद विवाद है। वर्तमान में मौके पर मु0नं0 171/36 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15,18 कुल 9.04 बीघा भूमि पाकसाफ व समतल कृषि योग्य है।

राज पैरोकार के साक्ष्य/रिपोर्ट व जवाब प्रतिवादी आ जाने तथा तनकी कायम की जाने के बाद उभयपक्ष ने सीधे बहस हेतु निवेदन किया। बहस में वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि मेरा जवाबदावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:12 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार व बहस स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर पूर्व स्थिति बहाल की जावे। बहस सुनी गई।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा इन्ही बातों को लेकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.12.2014 को निरस्त किया जा चुका है। राज्य पक्ष द्वारा इस अवधि में कोई ऐसे साक्ष्य नये तौर पर नहीं जुटाये है जो उनके वादपत्रों को मजबूती दे सके। राज्य पक्ष द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को समझते हुए उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की पालना नहीं की है। प्रश्नगत भूमि पर अवैध खनन कब हुआ व किसके द्वारा किया गया एवं अपीलांट से कभी जिप्सम जब्त हुआ अथवा नहीं ? कोई स्वतंत्र साक्ष्य जो यह प्रमाणित करे कि वादगत भूमि से अपीलांट ने ही खनन किया है, पत्रावली पर पेश नहीं कर सका है।

पैरोकार राज को समुचित अवसर दिया कि वह वाद को साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य, अभिलेख उपलब्ध करायें। वादी पक्ष को समुचित अवसर देने के बाद भी वादी पक्ष पैरोकार राज ने न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही किसी तरह का लिखित दस्तावेज पेश किया है। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने रिमाण्ड पश्चात भी प्रकरण में पुनः राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार 22.01.2021 व 20.09.2022 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार विवेचन के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हैं कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है क्योंकि प्रस्तुत रिमाण्ड वादपत्र व साक्ष्य स्वरूप रिपोर्ट तहसीलदार 22.01.2021 व 20.09.2022 व वादपत्र प्रस्तुत के वक्त प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट 16.09.2007 परस्पर विरोधाभासी है। वही प्रतिवादी ने तनकी संख्या 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने के पक्ष में पत्राव[illegible] सबूत के तौर पर जिम्मे प्रतिवादी तनकी सं0 2 को साबित करते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:12 IST
Reason: SelfAttested

वादी स्टेट जरिये [illegible] रिमाण्ड वादपत्र के पक्ष में मजबूत साक्ष्य–सबूत दस्ता[illegible] तनकी स0 1 को साबित करने में असफल रहा है तथा प्रतिवादी के तनकी सं0 2 [illegible]साबित हो जाने उपरोक्त परिपेक्ष में रिमाण्ड वादपत्र संख्या 97/2020 सरकार बनाम तेजासिंह खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा के निर्णय प्रकरण सं0 282/2007 दिनांक 26.12.2014 की पालना में चक 4 केएलडी मु0नं0 171/36 किला नं0 3 ता 8, 13 ता 15, 18 की 9.04 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गये इंतकाल से पूर्व की स्थिति बहाल के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को किये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय

की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:12 IST
Reason: SelfAttested